आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Fisheries Department

Community Fishery Development Project

मेघालय मत्स्य विभाग मछली पालकों के गांव और सामुदायिक समूहों को तालाब और टंकियां बनाने या सुधारने में मदद करता है और सामग्री पर सब्सिडी देता है।

क्या मिल सकता है

नए तालाब और टंकी बनाने या सुधारने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, और सामग्री पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कितनी राशि मिलेगी, यह परियोजना की व्यवहार्यता पर निर्भर है।

किसके लिए है

मेघालय में मछली पालकों के गांव, समुदाय, सोसायटी या सामूहिक संगठन, जिनके पास कम से कम लगभग 0.50 हेक्टेयर जल क्षेत्र हो।

मुख्य शर्तें

- आवेदक गांव, समुदाय, सोसायटी या मछली पालकों का सामूहिक संगठन हो, अकेला व्यक्ति नहीं।
- जल क्षेत्र कम से कम 0.50 हेक्टेयर, यानी लगभग 5000 वर्ग मीटर हो।
- सब्सिडी परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/37223
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-community-fishery-development-project/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।